न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश, कोर्ट कक्ष संख्या-1, बस्ती।
सिविल अपील संख्या 22/2010
कतारू बनाम रामवरन,

UPBS010000532010

23.02.2021

पत्रावली पेश हुई।

पुकार कराया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता उपस्थित हैं। मैंने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 53 ग 2 व 54 क 2 पर सुना। पत्रावली का परिशीलन किया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 53 ग 2

अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र, प्रतिस्थान प्रार्थना पत्र 53 क 2 को प्रस्तुत में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु, धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 53 ग 2 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दौरान अपील प्रत्यर्थी रामबरन की मृत्यु हो गयी, किन्तु उनके वारिसान का पता भी अपीलार्थी को नहीं मालूम था, जिसके कारण तत्काल वरासत प्रार्थना पत्र अपील में नहीं दे सका। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रत्यर्थी द्वारा मार्च 2020 में प्रार्थना पत्र के माध्यम से मृतक प्रत्यर्थी के वारिसान का नाम बताया गया, इसी दौरान महामारी की बीमारी फैलने के कारण अदालत बन्द हो गयी थी, किसी तरह से मुकदमें तारीख पड़ता था, जिसके कारण समय के अन्दर वरासत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए यदि विलम्ब पाया जाय तो धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए वरासत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाय।

प्रत्यर्थी की ओर से आपत्ति दिनांकित 08.02.2021 प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र को विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना कहा गया है और निरस्त किये जाने की याचना की गयी है तथा कथन की गयी है कि राम बरन की मृत्यु और उनके वारिस की सूचना 17.02.2020 को दी गयी है, जबकि वरासत प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, उसके बाद दिनांक 16.03.2020 की तारीख नियत थी, उस समय कोरोना का प्रकोप नहीं था। मई व जुलाई में ही कचहरी का काम शुरू हो गया था, एक-एक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण न दिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र 54 क 2 में प्रत्यर्थी रामबरन की मृत्यु दिनांक 16.12.2019 को होना कहा गया है और प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2020 को प्रस्तुत किया गय है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रतिस्थापन 54 क 2 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि प्रतिस्थापन हेतु प्रार्थना पत्र 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना चाहिए था, जिसके लिए प्रार्थना पत्र 53 ग 2 धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी के वारिसानों की जानकारी नहीं हो पायी। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से वारिसानों के नाम की जानकारी चाहने पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वारिसानों का नाम बताया जाना कहा गया और यह कथन किया गया है कि उसके बाद कोरोना का प्रकोप हो जाने के कारण न्यायालय बन्द हो गयी थी।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विलम्ब क्षमा किये जाने का आधार पर्याप्त है, क्योंकि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी रामबरन के मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसानों की

जानकारी नहीं हो पायी है, कोरोना 2019 का प्रकोप भी था, जिसके समर्थन में शपथ पत्र 56 ग प्रस्तुत किया गया है। अतः विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी की हुई क्षति, हर्जा अधिरोपित करके की जा सकती है।

आदेश

धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र 53 ग 2 मु० 200 रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है।

प्रथम अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश
कोर्ट संख्या-1, बस्ती।

बादहू 23.02.2021

निस्तारण प्रार्थना पत्र 54 ग 2

अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रत्यर्थी रामबरन की मृत्यु दिनांक 16.12.2019 को हो गयी है, किन्तु उनके वारिसान का पता नहीं था, इस कारण तत्काल वरासत प्रार्थना पत्र न देकर प्रत्यर्थी के अधिवक्ता से मृतक के वारिसान के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपर प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा वारिस बताया गया। उक्त सूचना के अनुसार वारिसान सुरेन्द्र कुमार पाल को बताया गया। अतः मृतक के वारिस को प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति दी जाय।

विपक्षी/प्रत्यर्थी की ओर से आपत्ति दिनांक 08.12.2021 प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थना पत्र में पैरा 37 जनरल रूल सिविल का पालन नहीं किया गया है, सत्यापन की त्रुटि है, आदेश 6 नियम 15 सी०पी०सी० की विधि व्यवस्था के विपरीत है। प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र दौरान मुकदमा प्रत्यर्थी रामबरन के मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु तथा तत्संबंधी पारिणामिक संशोधन प्रस्तावित करते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिससे सामान्य नियमावली 37 की सिविल प्रक्रिया संहिता में दिये गये प्रावधान का अनुपालन हो जाता है।। मृतक प्रत्यर्थी रामबरन की मृत्यु दिनांक 16.12.2019 को होना दर्शित है तथा यह प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2020 को प्रस्तुत किया गया है, निश्चित ही मियाद अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 53 ग 2 स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र प्रतिस्थापन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए, माफ किया जा चुका है। प्रत्यर्थी रामबरन के मृत्यु के पश्चात् भी उनके विधिक प्रतिनिधि के विरूद्ध अपीलार्थी का यह सिविल अपील चलाये जाने का अधिकार बचा हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 54 क 2 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी संशोधन एक सप्ताह में करें।
पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 09.03.2021 को पेश हो।

प्रथम अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश
कोर्ट संख्या-1, बस्ती।

Digitally signed by Prithvi Pal Yadav
Date: 2021.02.23 16:27:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court